श्री मधु दण्डवते : इस में गलती है, 199 दिये हैं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : माननीय सदस्य ने 200 कम कहा है, बल्कि 200 से ज्यादा दिये गये हैं । क्या आप उनकी सही संख्या बतायेंगे ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं क्या कहने जा रहा हूं उस को आप सुनिये ।

अभी 200 किया है, आगे ज्यादा भी करना हो सकता है ।

श्री रामविलास पासवान : इस में लास कितना होगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो जाना ही होगा, चाहे उसके लिये पास दो या वैसे जाओ ।

श्री रामविलास पासवान : घाटा कितना होगा ?

SHRI RATANSINH RAJDA: The Chairman of the Indian Airlines has said that 85% of the passengers are travelling on Government account of tax deductable Company account Because of this, unbearable burden is created on the passengers who belong to middle-class when in cases of emergency like ill-ness or death of relatives, they have to go immediately and are compelled to fly by Indian Airlines. All these middle-class people are the victims and the sufferers. Will the Hon. Minister kindly let me know whether the Government would run to the rescue of these middle-class people and take measures to see that this unbearable burden is not imposed on these middle-class travellers?

SHRI A. P. SHARMA: I do not know what middle-class people are in the view of my friend.

सिगरेट निर्माताओं द्वारा उत्पाद शुल्क की चोरी रोकने के उपाय

*189 **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिगरेट निर्माता कम्पनियों द्वारा की जाने वाली उत्पाद शुल्क की चोरी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं,

(ख) क्या ये प्रयास सफल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भविषय में उत्पाद शुल्क की चोरी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या विस्तृत उपाय करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सबाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ). एक विवरण-पत्र सदन-पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) एक मई 1979 से सिगरेट का निर्माण करने वाले कारखाने "वास्तविक नियंत्रण प्रणाली" के तहत काम कर रहे हैं जिसके अध्यधीन उनके उत्पादन तथा निकासी का वास्तविक रूप से निरीक्षण अधिकार-क्षेत्रीय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा किया जाता है । इसके अलावा, उत्पादन शुल्क्य अन्य वस्तुओं के मामले के अनुसार ही सामान्य रूप से आकस्मिक जांच, शुल्क-अपवंचन निवारण और लेखापरीक्षा संबंधी जांच की जाती है ।

(ख) कुल मिलाकर, उत्पादन की मात्रा को छिपाने एवं चोरी-छिपे निकासी के माध्यम से शुल्क-अपवंचन किए जाने का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है । तथापि, न्यून-मूल्यांकन के माध्यम से किए गये शुल्क- अपवंचन का पता चला है । ऐसे मामले जांच अथवा विभागीय न्यायनिर्णयन के आधीन हैं अथवा न्यायालयों में विचाराधीन हैं ।

(ग) तथा (घ). कुछेक वस्तुओं में से "सिगरेट" एक ऐसी वस्तु है जो वास्तविक नियंत्रण प्रणाली के अध्यधीन है । यह प्रणाली स्वनिकासी कार्यविधि की बजाय काफी अधिक कठोर है जो अधिकांश उत्पादन शुल्क्य वस्तुओं पर लागू है ।

सरकार, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अपवंचन को रोकने के लिए आमतौर पर शुल्क-अप-वंचन-निवारण तथा लेखापरीक्षा संबंधी जांच-कार्य को सुदृढ़ करने हेतु समय--समय पर उपाय करती रही है ।

श्री धर्मदास शास्त्री : प्रश्न के (ख) भाग के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ पता चला है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या पता चला है ? कुछ पता चला है–इतना कहने से उत्तर पूरा नहीं होता है । मैं जानना चाहता हूं कि अब तक क्या कार्यवाही हुई है, कितने केसज आप को नोटिस में आये हैं--यह सब बतलाने की कृपा करें ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : सिगरेट पर जो उत्पादन कर लगाया गया है, वह उस पर नियन्त्रण रखने के लिये, कर की चोरी की गुंजाइश कम से कम हो, इस दृष्टि से प्रयत्न किये जा रहे हैं । इस समय दो प्रकार के सिस्टम्ज चल रहे हैं--फिजीकल-कन्ट्रोल-सिस्टम और सेल्फ-रिमूवल-सिस्टम। फिजिकल कण्ट्रोल सिस्टम में उत्पादन के छिपाये जाने की बहुत कम गुंजाइश है साथ ही उत्पादन के चोरी-छिपे बाहर निकाल कर ले जाने की भी कम गुंजाइश है--इन पर पूरा नियन्त्रण रखा जाता है ।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि जो केसेज मिले हैं उन में क्या कार्यवाही हुई है । जितने केसेज अभी तक अण्डरवैल्यूएशन के पकड़े गये हैं*--

These cases are pending investigation, departmental adjudication and some are pending decision in course on account of writ petitions filed by the parties.

इस प्रकार के कुछ केसेज पकड़े गये हैं उन को डिपार्टमेन्टल इन्वेस्टीगेशन और एड-जूडिकेशन के लिये भेजा गया है ।

They are pending before various High Courts under the writ petitions filed by them.

श्री धर्मदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर ठीक तरह से नहीं दिया । मैंने पूछा था कि ऐसे कितने मुकदमे हैं और उन से सरकार को कितना नुकसान हुआ है--ये सारी बातें बतलाइये, कोई आंकड़े दीजिये ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : अध्यक्ष महोदय, इस का जो प्रश्न था वह किसी पर्टिकुलर प्रकार के केसेज की जानकारी के लिये नहीं था । अगर कोई खास जानकारी आप चाहते हैं तो उस के लिए नोटिस चाहिये, तब मैं विस्तृत विवरण दे सकूंगा ।

श्री धर्मदास शास्त्री : सरकार ने जो कदम उठाये हैं, वे कौन-कौन से कदम हैं, उनके बारे में बतलाइये ?

अध्यक्ष महोदय : कदम से कदम मिला कर चल रहे हैं* ।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : कदम से कदम मिला कर चलेंगे । मेरा यह निवेदन है कि अभी मैंने इस बारे में स्पष्टीकरण दिया है कि सिगरेट के उत्पादन पर किसी प्रकार की चोरी करने की संभावना नहीं होती है क्योंकि इस में फिजिकल कन्ट्रोल सिस्टम लागू किया गया है और उसमें बहुत कम चोरी करने की गुंजाइश रहती है इस के अलावा अन्डरवेल्यूएशन के केसेज को रोकने के लिए समय समय पर गवर्नमेंट कदम उठाती रहती है । टैक्स इवेजन के बारे में अगर कोई कमी नजर आती है, तो उस के लिए तुरन्त एक्शन लिया जाता है और हमारी जो रेवेन्यू इंटेलीजेंस है, उससे जानकारी मिलती रहती है ।

SHRI SATISH AGARWAL: Is it a fact that, under section 4 of the Customs and Excise Act, the cigarette manufacturers are taking undue advantage of the language used therein and Government have taken up the question of amending this section 4 so as to plug the loopholes? What action have Government taken so far in order to plug these loopholes?

The second part of my question is whether it is a fact that the cases that you referred to have been pending investigation in the Department for more than five years—with regard to evasion of excise duty by cigarette

manufacturers—and if so, what effective steps are proposed to be taken by Government in this behalf.

SHRI SAWAI SINGH SISODIA: Certainly, the cases are pending investigation as well as adjudication. But I am sorry I am not in a position to reply just now. It may be during the Janata regime; whether before or after that, I do not have complete information; I will require notice for that.

Constitution of an All India Powerloom Board

*190. DR. SUBRAMANIAM SWAMY:

SHRI AMAR ROYPRADHAN:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have decided to constitute an All India Powerloom Board to safeguard the interest of powerloom weavers; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI KHURSHEED ALAM KHAN): (a) Government have taken a decision in principle to constitute an All India Powerloom board.

(b) The details are being worked out.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: The first question I would like to ask is whether it is a fact that the Government has received a large number of representations from places like Bhiwandi in Maharashtra and other places pointing out gross irregularities being committed by some of the officials of the Commerce Ministry in the treatment of powerloom weavers and whether the scope.....

SHRI K. LAKKAPPA: It is absolutely wrong. . .(Interruptions)

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I do not know about the latest position of the Council of Ministers, whether there has been a reshuffle. . . .

MR. SPEAKER: Have some powers been delegated to you, Sir?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Cabinet reshuffle takes place at the last minute; maybe, it has happened this morning, and I do not know whether Mr. Lakkappa is a new Minister.

I would like to know from the Minister whether he has received such representations and what he is doing about those.

SHRI KHURSHEED ALAM KHAN: In fact, there are lots of complaints that the power loom lobby is committing a lot of infringement as regards powerlooms. In fact, there are more than a lakh of illegal powerlooms. I do not know how they get the power and how they get the other inputs, and they are competing directly with handloom We have now decided that we will regulate all powerlooms; this Board wil be supervising them, regulating their functioning and see to it that they do not enter into a wasteful competition with handloom which must get the pride of place in our policy.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I would like to know whether Government have decided in principle what kind of Board they are going to have, whether it is going to be a Board manned by bureaucrats or a Board manned by experts, whether there are going to be Members of Parliament on that, etc. Has any basic decision been taken on that?

SHRI KHURSHEED ALAM KHAN: The decision is that the Board will be an advisory Board in which there will be representation of the various interested people, that is, the powerloom people, those people who produce the yarn for the powerloom and other people who are interested generally in the trade.

Of course, the representation will be on the basis of the representation of the Handloom Board.